

वनभूमि के मूल्य का आंकलन

जनपद बदायूं में मा0 मुख्यमंत्री जी उ०प्र० की घोषणा के अन्तर्गत मेरठ-बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-18) के किमी0 163 से 208 (400) तक की दोनों ओर उ०प्र० लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बदायूं) द्वारा किये जा रहे मार्ग के फोरलेन में चौड़ीकरण एवम सुदृढीकरण कार्य में उपयोग हेतु 64.60 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का आंकलन निम्न प्रकार है।

शासनादेश संख्या 529 /14-2-2008 दिनांक 22.08.2008 एवं भारत सरकार के पत्रांक F.NO.5-3/2007 -F C. दिनांक 05.02.2009 के अनुसार 64.60 हेक्टेयर की N.P.V. @ ^{लाख} रु0 8.03 प्रति हेक्टेयर की दर से रु 518.738 लाख मात्र आती है।

17-3-17
DIVISIONAL FOREST OFFICER
SOCIAL FORESTRY DIVISION

BUDAUN